भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 189

(जिसका उत्तर सोमवार, 3 फ़रवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है)

एफईएमए विनियमों में संशोधन

189. श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामलों को 5 करोड़ रुपये तक अर्थदंड अदा करते हुए निपटाने की अनुमति देने के लिए एफईएमए नियमों में संशोधन किया है;
(ख) नीति में उक्त परिवर्तन से कितने लोगों को लाभ होगा;
(ग) क्या सरकार द्वारा लिए गए उपरोक्त निर्णय से पहले लंबित मामलों पर उक्त परिवर्तन लागू होगा; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 **(**फेमा) की धारा 15 (1) में प्रावधान किया गया है कि उक्त अधिनियम के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के मामले में**,** ऐसा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर**,** केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (डीओई) के अधिकारियों द्वारा शमन किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए**,** विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2000 जारी किए थे**,** जिन्हें दिनांक 12 सितंबर, 2024 को अधिसूचित विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2024 द्वारा अधिक्रमित किया गया था। इन नियमों में इस प्रकार की शमन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है और आरबीआई तथा डीओई में विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को उक्त उल्लंघन में शामिल राशि के अनुसार शमन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ग) और (घ): विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2024 शुरू होने की तारीख को शमन प्राधिकरण के समक्ष लंबित कोई भी शमन आवेदन विदेशी मुद्रा (शमन कार्यवाही) नियम, 2000 के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

****